

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 109/2023

पीठारीन अधिकारी - श्री भागीरथराम, आर.ए.ए.स

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान प्रार्थीगण - 1. देराजराम 2.नगाराम 3.पाबूराम पि.पूनमाराम
4. हरखू पत्नि पूनमाराम, जाति जाट,
निवासी पावडों का तला, तहसील धनाऊ

बनाम

विप्रार्थीगण - 1.अनिता पुत्री हरदानराम 2.उगराराम पुत्र गुणेशाराम 3.करनाराम
पुत्र गोमाराम 4.गुमनी पत्नि खेराजराम 5.पुरखाराम पुत्र खेराजराम
6.बांकाराम पुत्र गुणेशाराम 7.मदरूपाराम पुत्र खेराजराम
8.महेशकुमार पुत्र हरदानराम 9.मिरगो पत्नि गणेशाराम 10 रामाराम
पुत्र खेराजराम 11.लुम्बाराम पुत्र हरदानराम 12 लालाराम पुत्र
गोमाराम 13.लीला पुत्री हरदानराम 14.सगराम पुत्र खेराजराम
15.हरखू पत्नि हरदानराम, जाति जाट, निवासी पावडों का तला
तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर
16.शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी.शाखा धनाऊ
17.शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई.शाखा सेडवा
18.तहसीलदार धनाऊ



अधिवक्तागण -

प्रार्थीगण -

श्री फताराम गोदारा

विप्रार्थीगण -

एकतरफा

निर्णय

दिनांक - 21.03.2024

प्रार्थीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा पावडों का तला, पटवार क्षेत्र धनाऊ, तहसील धनाऊ द्वारा सं. 761/181 रकबा 13.3141 हैक्टर एवं विप्रार्थी सं. 1 से 15 का खेत खरबारा सं. 693/181 रकबा 13.3222 हैक्टर का आया हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

पार्थीगण एव विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा पावडों का तला पटवार क्षेत्र धनाऊ, तहसील धनाऊ में खसरा सं. 693/181 रकबा 164.11 बीघा का आया हुआ है जिसमें 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण का तथा 1/2 हिस्सा विप्रार्थी सं. 1 से 15 का था, जिसमें प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण द्वारा बंटवाड़ा करवाया था तब तहसीलदार एवं अधीनस्थ कर्मचारियों ने तरमीम करते समय लट्टा ट्रेस में मौके पर भौतिक कब्जे काशत अनुसार तरमीम न कर गलत तरमीम कर दी जिससे प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा है। इसलिए प्रार्थीगण उक्त गलत तरमीम को भौतिक कब्जा काशत अनुसार दुरस्त करवाना चाहते हैं जिस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.एडी. नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण वकील की ओर से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार कर तहसीलदार धनाऊ को लिखा गया। तहसीलदार धनाऊ से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार धनाऊ से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार जो तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, उन्हें स्वीकार है उसी अनुसार आवेदन का निस्तारण किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंगन दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की मौका फर्द का अवलोकन किया गया जिसमें तहसीलदार धनाऊ द्वारा सलंगन नक्शा मे परिशिष्ट ब अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया।

अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.भू.रा.अधिनियम का स्वीकार किया जाकर मौजा पावडों का तला, पटवार क्षेत्र धनाऊ, तहसील धनाऊ मे

उपस्थित अधिकारी
(SDO) चौहान

खसरा स 761/181 रकबा 133141 एवं खसरा स 693/181 रकबा 133222 हेक्टर
की तरमीम तहसीलदार घनाऊ से प्राप्त जांच रिपोर्ट मय सलग्न नक्शा के परिशिष्ट ब
अनुसार दुरस्त की जाती है। तहसीलदार घनाऊ से प्राप्त जांच रिपोर्ट मय सलग्न नक्शा
निर्णय का अनिवार्य भाग रहेगे।

निर्णय आज दिनांक 03/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो। सख्या से एक कम हो।



(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
झारखण्ड
घनाऊ

क नम्बर डूब
म पापडे का वला
से ११ २० जाडा

शब्द "अ"
समान स्थिति

$\frac{693}{181}$

$\frac{761}{181}$

$\frac{761}{181}$

$\frac{693}{181}$

परिशेष "ब"
प्रस्तावित
स्थिति

Ex-1000
उपरोक्त अधिकारी
को चोखन

28/12/24
पं. ज. ना. क.

अधीनस्थ (पु. अ.) पनाक

श्री. ज. ना. क.
29/12/24
दे. ज. ना. क. पावरा
नगरास

शुम्भाराम अनिता लीसा

एरपू

मैहरा रामदास सगराम

पुरवाराम

अधिकाधिक

अधिकाधिक

एरपू

एरपू

ना. ना. ना. म

अधिकाधिक

अधिकाधिक

एरपू

एरपू